समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 71/2016-17 (रेलवे) ...1179... / भूअ0 गोड्डा दिनांक :– ...8/10/18...

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **चौजोरामाल सीट नं0–1, थाना नं0– 522, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **गोड्डा से पीरपैंती नई बी॰जी॰ रेलवे लाईन निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए॰एम॰सी॰एस॰ प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– **चौजोरामाल सीट नं0–1, थाना नं0– 522, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **3.72233** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	53	निजी	धानी II	0.0001	0.2280	गुड्डू शुक्ला, पिता– सत्यनारायण शुक्ला	32	48	55	33 अंश
2		54	निजी	धानी II	0.301	0.2270	सुशील शुक्ला, पिता– सत्यनारायण शुक्ला	33	48	48	36 अंश
3		72	निजी	धानी II	0.081	0.2270	शंकर शुक्ला, पिता– स्व0 केदार शुक्ला				
4		33	निजी	धानी II	0.011	0.2270	मो0– वीणा देवी, पिता– स्व0 केदार शुक्ला	48, 54	50	51, 53	47
5		36	निजी	धानी II	0.010	0.4473	जमामंदी रैयत मो0 राजो देवी के वंशज				
6		49	निजी	धानी II	0.289			54	51	53 अंश	49
7		55	निजी	धानी II	0.610			55	49	55 अंश	54
8		61	निजी	धानी II	0.000						
9		56	निजी	धानी II	0.002			57	54	0	32
10		66	निजी	धानी II	0.052			57	55	56 अंश	55
11	3	47	निजी	धानी II	0.055	1.075	महेन्द्र शुक्ला, पिता– हलधर शुक्ला	48	50	49	47 अंश
12		48	निजी	धानी II	0.258			32, 36	49	54	48 अंश
13		51	निजी	धानी II	0.002			49	50	51 अंश	49
14		57	निजी	धानी II	0.502			60	55	57 अंश, 73	58, 57 अंश
15		58	निजी	धानी II	0.067			58 अंश	55	57	58 अंश
16		68	निजी	धानी II	0.191			67	69	70	68 अंश

17		45	निजी	बाड़ी I	0.00200			44	47	48	45 अंश
18	4	59	निजी	धानी II	0.00003	0.14903	खतीयानी रैयत चक्रधर शुक्ला एवं ,महाराज शुक्ल, के वारीशान	61	57	60	59 अंश
19		60	निजी	बाड़ी II	0.14600			79	57	71	60 अंश
20		73	निजी	बाड़ी II	0.00100			72	74	73 अंश	57
21		67	निजी	धानी I	0.322	0.036	सुरेश्वर शुक्ला, पिता– मनिलाल शुक्ला	30	33	55	32 अंश
22		69	निजी	बाड़ी I	0.469	0.036	गणेश शुक्ला, पिता– मनिलाल शुक्ला				
23		71	निजी	धानी I	0.221	0.036	दिनेश शुक्ला, पिता– मनिलाल शुक्ला				
24		32	निजी	धानी II	0.130	0.035	आशोक शुक्ला, पिता– मनिलाल शुक्ला	67 अंश	68, 70	70	67 अंश
25						0.072	पुरूषोत्तम शुक्ला, पिता– फनिलाल शुक्ला				
26						0.071	कैलाश शुक्ला, फनिलाल शुक्ला				
27						0.048	मदन कुमार, पिता– सिगेश्वर शुक्ला				
28	5					0.048	अनुज कुमार, पिता– सिगेश्वर शुक्ला				
29						0.048	अनिल कुमार, पिता– विशेश्वर शुक्ला				
30						0.047	शुशील शुक्ला, पिता– विशेश्वर शुक्ला				
31						0.048	विपीन शुक्ला, पिता– रूपेश शुक्ला				
32						0.047	प्रविण कुमार शुक्ला, पिता– रूपेश शुक्ला				
33						0.143	कामेश्वर शुक्ला, पिता– जयदेव शुक्ला				
34						0.142	सुबोद शुक्ला, पिता– जयदेव शुक्ला				
35						0.285	खतीयानी रैयत शुकदेव शुक्ला के वारीशान				
				कुल :–	3.72233	3.72233					

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी– कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

6/10/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1179/भू0अ0 दिनांक :– 8/10/18।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

6/10/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1179/भू0अ0 दिनांक :– 8/10/18।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

6/10/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1179 / भू0अ0 दिनांक : 8/10/18

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/10/18

उपायुक्त,
गोड्डा।